



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 167630

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26978 / 2026**

कल्याण

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अभिलाषा सिंह, आशुतोष यादव, एस. लाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा**

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.पी. त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22.06.2026 की केस डायरी संख्या 10 की प्रति अभिलेख पर ले ली गई है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.पी. त्रिपाठी को सुना गया। अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 120/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना-गुन्नौर, जनपद-संभल में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 331(4), 123, 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान उक्त धाराओं को हटा दिया गया और मामले को धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



परिवर्तित कर दिया गया। आवेदक का नाम गवाह हरिओम द्वारा बताया गया था। यह तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, कथित वीडियो रिकॉर्डिंग तथा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध गठित करने के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। केवल इस आधार पर कि आवेदक ने मृतका की मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसके साथ लंबे समय तक टेलीफोन पर बातचीत की थी, आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता, जब तक कि उकसाने का कोई सकारात्मक कृत्य, जानबूझकर सहायता अथवा ऐसा निकटवर्ती आचरण न हो, जिससे मृतका आत्महत्या करने के लिए विवश हुई हो। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 654/2017, निर्णय दिनांक 03.10.2024 तथा अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024, निर्णय दिनांक 18.08.2025 के निर्णयों पर भरोसा किया है।

आवेदक दिनांक 25.05.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जांच पूर्ण हो चुकी है और आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु अभिलेख के आधार पर उपर्युक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। आवेदक का नाम गवाह हरिओम द्वारा बताया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, कथित वीडियो रिकॉर्डिंग तथा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध गठित करने के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं।

आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई निकटवर्ती अथवा प्रत्यक्ष कृत्य नहीं है, जिसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने, षड्यंत्र करने अथवा आत्महत्या के कृत्य में जानबूझकर सहायता करने के रूप में माना जा सके। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक वर्तमान में दो माह से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिक समय से निरुद्ध है और विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। विशेष रूप से, राज्य की ओर से ऐसा कोई युक्तियुक्त आधार सामने नहीं लाया गया है जिससे यह आशंका हो कि आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने पर वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा गवाह को भयभीत करेगा। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. आवेदक **कल्याण**, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक अभियोजन के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

दिनांक : 11 अगस्त, 2026

एस.एस.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।